न्यायालयश्री माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर खण्डपीठ रीवा कैम्प रीवा (म0प्र0)

निगरानी 4202-III-14

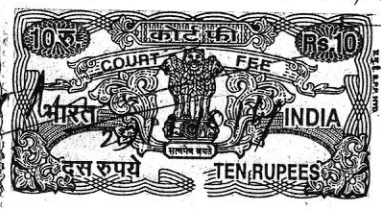

Rs. 301

828
29.11.14

शासन म0प्र0 द्वारा महेश प्रसाद सोंधिया तनय रामप्रसाद उम्र 35 वर्ष पेशा-खेती निवासी ग्राम छिजवार तहसील हुजूर जिला रीवा (म0प्र0) --आवेदक

:- बनाम :-

1- बालमीक सोनी तनय श्री भगवानदीन सोनी उम्र 65 वर्ष

2- रामकरणसोनी उम्र 52 वर्ष) पुत्रगण भगवानदीनसोनी निवासी ग्राम

3- हरिहर सोनी उम्र 42 वर्ष) छिवार तह0 हुजूर जिला रीवा (म0प्र0)

-- अनावेदकगण

श्री ... द्वारा आज दिनांक 29.11.14 को प्रस्तुत किया गया।

रीडर
सर्किट कोर्ट रीवा

निगरानी अन्तर्गत धारा 50(6) म0प्र0भू0रा0सं0 सन 1959ई

स्वमेव निगरानी विरूद्ध न्यायालय नायब तहसीलदार तहसील हुजूर सर्किल बनकुइयाँ जिला रीवा के प्र0क्र0 393अ-62 अ /2004-05 आदेश दिनांक 29/11/05

3882

मान्यवर,

// प्रकरण का संक्षिप्त तथ्य //

यह कि अनावेदक गण को ग्राम रंगौली तहसील सेमरिया जिला रीवा के मूल निवासी है। वर्ष 2003 मे ग्राम छिजवार मे झोपडी बनाकर वादग्रस्त भूमि खसरा क्र0 158/1 रकबा 1.70 ए0, म0प्र0 राजस्व की भूमि हडपने के नियत से कुचक्र रच कर हल्का पटवारी से मिल कर पहले अनाधिकार झोपडी बनाया फिर वादग्रस्त भूमि परस्वत्व घोषणा का दावा माननीय द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश के न्यायालय मे दायर किया । दावा निरस्त किया गया। अनावेदक गण ने अपील चतुर्थ अपर जिला न्यायाधीश के न्यायालय मे पेश किया गया।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक R -4202–तीन–.2014 **जिला रीवा**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश म0प्र0शासन महेश / बालमीक / महेश सोंधिया	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10 –02–2016	यह निगरानी नायब तहसीलदार तहसील हुजूर जिला रीवा के प्रकरण कमांक 39/अ–6–अ/04–05 में पारित आदेश दिनांक 29.11.05 से व्यथित होकर प्रस्तुत की गयी है। प्रकरण में आवेदक अधिवक्ता श्री चन्द्रपताप तिवारी उपस्थित। उन्हें प्रकरण में ग्राहयता पर सुना गया। उनके द्वारा निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों के आधार पर निगरानी ग्राहय करने का निवेदन किया गया। आवेदक अधिवक्ता के तर्को पर विचार किया गया तथा निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों का परिशीलन किया गया। साथ ही आक्षेपित आदेश दिनांक 29.11.05 का भी अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेश से व्यवहार न्यायालय चतुर्थ जिला न्यायाधीश के अपील प्रकरण कमांक 31ए/2003 में पारित आदेश का पालन कराये जाने का आदेश हल्का पटवारी को दिया गया है। यहां यह तथ्य विचारणीय है कि सिविल न्यायालय का आदेश राजस्व न्यायालयों पर बंधनकारी है ऐसी स्थिति में नायब तहसीलदार के आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। परिणामस्वरूप प्रकरण में ग्राहयता का पर्याप्त एवं समुचित कारण नहीं होने से यह निगरानी प्रकरण अग्राहय किया जाकर इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दा.रि.हो। **(आशीष श्रीवास्तव)** **सदस्य**	